संक्षिप्त परिपत्र

राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं की स्थिति

अप्रैल 2019

बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट, जयपुर
(Budget Analysis and Research Center Trust, Jaipur)
ईमेल :barctrust@gmail.comवेबसाइट :www.barctrust.org

राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं की स्थिति

संक्षिप्त प्रपत्र

भूमिका

भारत में आदिवासियों एवं दलितों के समग्रविकास तथा इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़कर अन्य वर्गों एवं क्षेत्रों के समकक्ष लाने हेतु वर्ष 1974–75 में5वीं पंचवर्षीय योजना के जनजाति उपयोजना एवं वर्ष 1979 में अनुसूचित जाति उपयोजना (जिसको 2007 से पहले विशेष संघटक योजना के नाम से जाना जाता था) की रणनीति अपनाई गई।इस रणनीति के अनुसार केन्द्र सरकार एवं प्रत्येक राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में क्रमशः जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित कर इन वर्गों के विकास हेतु व्यय करना चाहिये। चुंकि राज्य की कुल आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत, 2011 जनगणना के अनुसार क्रमशः 17.8एवं 13.5प्रतिशत है।अतः राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का कम से कम इनकी आबादी के अनुपात में दोनों उपयोजनाओं हेतु राशि आवंटित करना चाहिये। गौरतलब है कि राज्य में दोनों उपयोजनाओं में मानदंड से बहुत ही कम राशि आवंटित एवं व्यय की जाती रही है एवं यह स्थिति केन्द्र एवं देश के करीब सभी राज्यों में देखी जा सकती है। अतः देश में विगत 4–5 वर्षों से इन उपयोजनाओं के लिये कानून बनाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड एवं तेलंगाना सरकारों द्वारा अपने राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये कानून बनाया गया। राजस्थान की पूर्व सरकार नेभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना विधेयक हेतु 2013 में मसौदा तैयार कर इसे विधानसभा में पेश किया था।

लेकिन 2017–18 से केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा भी बजट के योजना एवं गैर–योजना वर्गीकरण को समाप्त किये जाने के बाद दोनों उपयोजनाएं भी लगभग समाप्त हो गयी है। इसके अलावा उपयोजनाओं हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इस निर्णय से पूर्व बनाये गये कानून भी प्रासंगिक नहीं रहे हैं। हालांकि तेलंगाना सरकार द्वारा बनाया गया कानून बजट में इस बदलाव के बाद तथा बजट के योजना व गैर–योजना वर्गीकरण की समाप्ति को ध्यान में रखते हुये बनाया गया है।

अब चुंकि बजट के योजना व गैर–योजना वर्गीकरण की समाप्ति के बाद दोनों उपयोजनाओं का आधार ही समाप्त हो गया है। अतः इस स्थिति में राजस्थान सरकार को भी तेलंगाना सरकार की तर्ज पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के क्रियांवयन के हेतु कानून बनाने की आवश्यकता है।

राज्य में उपयोजनाओं हेतु वर्ष 2016–17 तक की व्यवस्था

उपयोजनाओं के क्रियांवयन की व्यवस्थाः राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के क्रियांवयन एवं निगरानी हेतु नोडल विभाग/ऐजेंसी क्रमशः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है।

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु आयोजना एवं बजटः राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु कोई व्यवस्थित आयोजना, बजट आवंटन एवं प्रक्रिया नहीं है। अगर उपयोजनाओं के आयोजना की बात करें तो राज्य, जिला एवं निम्न स्तर पर आयोजना हेतु कोई व्यवस्थित रणनीति एवं दिशा–निर्देश नहीं है। राज्य के आयोजना विभाग द्वारा उपयोजनाओं के संबंध में 6 फरवरी, 2012 को एक आदेश जारी किया था, जो इस संबध में सरकार का एक–मात्र दिशा निर्देश है। यह परिपत्र मुख्यरुप से उपयोजनाओं के लेखांकन (Accounting) पर ज़ोर देता है। यह परिपत्र सुझाव देता है कि राज्य की बड़ी परियोजनाओं (जैसे–बिजली, ट्रांसमिशन लाईनों आदि) के संस्थापन व्यय में राज्य की दलित एवं आदिवासी आबादी के अनुपात में राशि उपयोजनाओं के बजट से शामिल किया जाये। इसके अलावा कोई खंड/गांव/क्षेत्र पूर्ण रुप से उपयोजना क्षेत्र में नहीं है तो उन खंडों/गांवों/क्षेत्रों की परियोजना में वहां की दलित एवं आदिवासी आबादी के अनुपात में राशि उपयोजनाओं में शामिल करने की बात करता है।

उपयोजनाओं केलिये बजट की बात की जाये तो राज्य का आयोजना विभाग अपनी वार्षिक योजना में दोनों ही उपयोजनाओं का बजट आवंटन भी दर्शाता है। इसके अलावा वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका–4ब (अनुसूचित जाति तथा जनजाति उपयोजना में योजनाओं के अंतर्गत प्रावधित राशि) में भी उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन का योजनावार विवरण होता है। इन दोनों विवरणों के अनुसार राज्य में दोनों ही उपयोजनाओं में मानदंड के अनुसार (करीब 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत) राशि आवंटित की जा रही है। लेकिन इन आंकड़ों की तुलना यदि हम वित्त विभाग की विस्तृत बजट पुस्तिकाओं के आंकड़ों से करें तो ये मानदंड से बहुत ही कम है। अतः आयोजना विभाग एवं वित्त विभाग के आंकड़ों में काफी अंतर है। बजट पुस्तकों में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु बजट, मांग संख्या–51 एवं जनजाति उपयोजना हेतु बजट मांग संख्या–30 के अंतर्गत दर्शाया जाता है। सभी विभागों/मुख्य शीर्षों में दोनों उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन एवं खर्च दर्शाने के लिये अलग लघु शीर्षों (अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु 789 एवं जनजाति उपयोजना हेतु 796) का उपयोग किया जाता है। राज्य में सभी विभागों/मुख्य शीर्षों में दोनों उपयोजनाओं हेतु निर्धारित लघु शीर्षों के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं में कुल बजटखर्च की स्थिति का विवरण निम्न ग्राफ (1,2) द्वारा दर्शाया गया है।

ग्राफ–1: अनुसूचित जाति उपयोजना : बजट व्यय (प्रतिशत में)

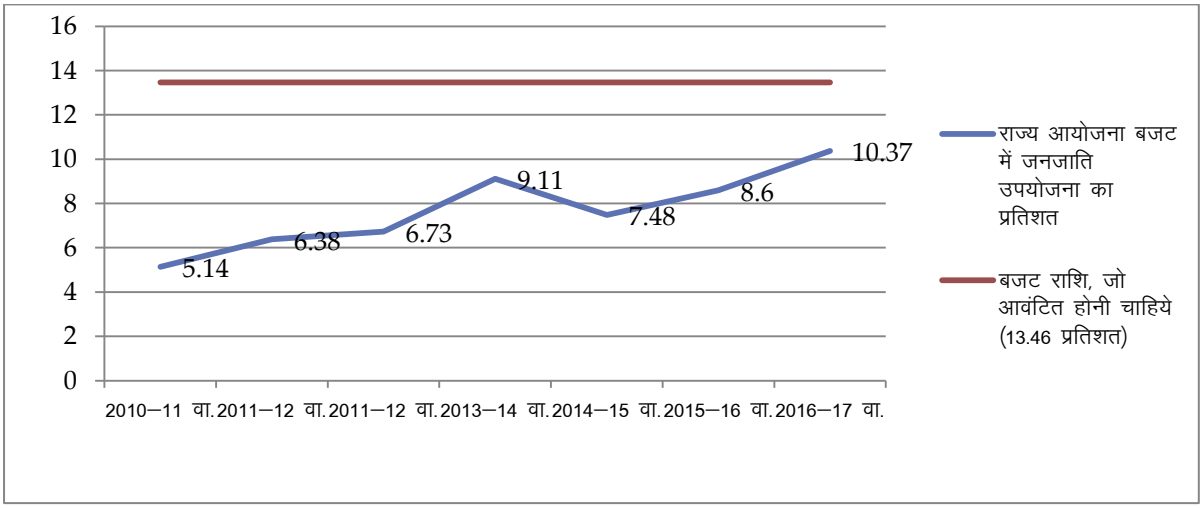

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, नोट–वा.– वास्तविक व्यय

ग्राफ–2: जनजाति उपयोजना : बजट व्यय (प्रतिशत में)

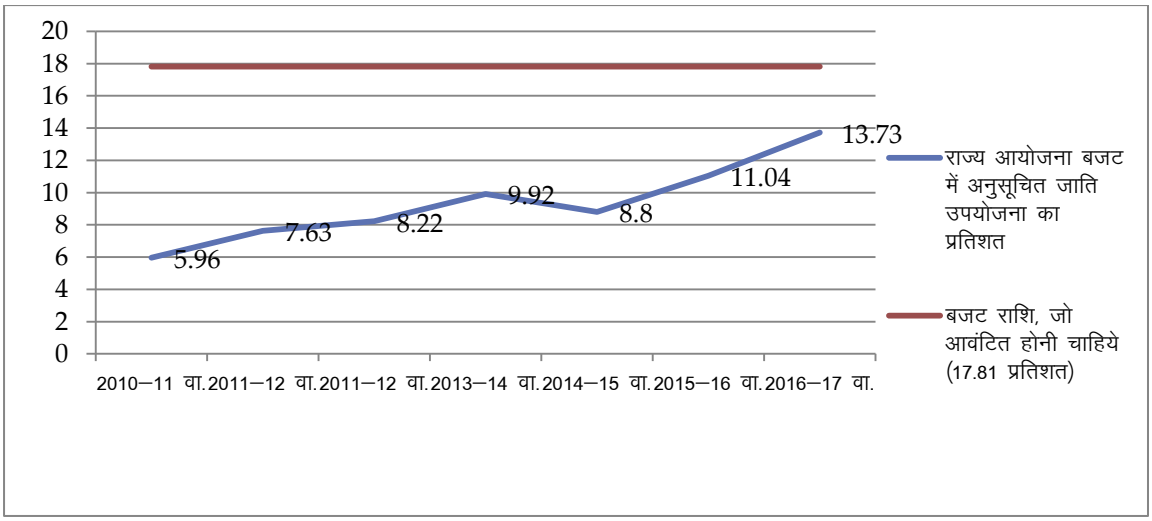

स्रोतः बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, नोट–वा.– वास्तविक व्यय

राज्य में उपयोजनाओं हेतु 2017–18 के बाद की व्यवस्था

साल 2016–17 के बजट भाषण में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2017–18 से बजट के योजना, गैर–योजना वर्गीकरण को समाप्त करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुरुप वर्ष 2017–18 में केन्द्र सरकार के साथ राजस्थान एवं अन्य बहुत से राज्यों द्वारा बजट के योजना एवं गैर–योजना वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। जिसके परिणामस्वरुप दोनों उपयोजनाओं के आवंटन का आधार ही समाप्त हो गया। बजट के योजना एवं गैर–योजना वर्गीकरण की समाप्ति के बाद देश में केन्द्र एवं अलग–अलग राज्यसरकारों द्वारा उपयोजनाओं के क्रियान्वयन हेतुतरह–तरह की रणनीतियां बनाई गयी हैं तथा जिन राज्यों में इसके लिये कानून बने हुए थे उन्होंने अपने कानूनों में बदलाव किया है।जिनका विवरण आगे बॉक्स में दिया गया है।

देश में उपयोजनाओं के क्रियांवयन के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयास :

देश में केन्द्र एवं राज्य स्तर पर बजट के योजना एवं गैर–योजना वर्गीकरण की समाप्ति के बाद विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा उपयोजना के क्रियान्वयन के संबंध में तरह–तरह कीरणनीतियां बनाई गयी। लेकिन वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जो प्रविधियां एवं नीतियां अपनाई जा रही है, वे उपयोजनाओं हेतु आवश्यकता आधारित आयोजना एवं बजट के बजाय केवल इनकी अकांउटिंग एवं रिपोर्टींग पर ज़ोर देती है।

- *मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकार ने दलितों एवं आदिवासियों के लिये अलग योजनाएं तैयार कर लागू करने की बात कही है।*
- *केरल एवं तमिलनाडू सरकारों ने बजट के आयोजना एवं गैर–योजना वर्गीकरण को यथावत् रखा है।*
- *महाराष्ट्रा सरकार ने गैर योजना बजट को भी जोड़ने की बात कही है। इस हेतु आवंटन का स्तर साल (2016–17) के बजट आवंटन को मानदंड/बेंचमार्क के तौर पर लिया गया है।*
- *कर्नाटका सरकार ने इस हेतु आवंटन योग्य बजट (Allocabel Budget) को परिभाषित किया है। जिसमें कुल राज्य बजट में से वेतन, अनुदान एवं सहायता, पेंशन, प्रशासनिक व्यय, ऋणों का पुर्नभुगतान आदि को घटाकर शेष राशि को आवंटन योग्य बजट बताया है।*
- *तेलंगाना सरकार ने नया कानून बनाकर राज्य के कुल विकास कोष (प्रगतिपत्र) में से अनुसूचित जाति विशेष विकास कोष एवं जनजाति विशेष विकास कोष का निर्माण किया है।*
- *राजस्थान संरकार द्वारा दिसम्बर 2016 को जारी किये गये परिपत्र के अनुसार वर्ष 2017–18 से राजस्व व पूंजीगत मदों की समस्त योजनाओं के लिये आवंटित कुल बजट में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु पृथक–पृथक प्रावधान, राज्य में 2011 की जनसंख्या को आधार मानकर उक्त समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में किये जाने का निर्देश है।*

राजस्थान सरकार ने भीयोजना व गैर–योजना खर्च को समाप्त किये जाने के निर्णय के बावजूद अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं में बजट आवंटन पूर्व की भांति यथावत् रखे जाने की बात कही थी।जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा 28 दिसम्बर 2016 को इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें स्पष्ट किया है कि ''राजस्व व पूंजीगत मदों की समस्त योजनाओं के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु पृथक–पृथक प्रावधान, राज्य की कुल जनसंख्या में उक्त समुदायों की

जनसंख्या के अनुपात में किया जाना है।'' राज्य सरकार ने इसके लिये वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाने का निर्देश दिया है। हालांकि साथ ही यह प्रपत्र (2016)विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में किस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये राशि का प्रावधान करना है, इसके तरीके भी बताता है। लेकिन इसके बाद राज्य बजट में पहले की तरह ही इन उपयोजनाओं (या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये प्रावधान) के दो प्रकार के आंकड़े मिलते हैं। विस्तृत बजट पुस्तिकाओं में इन उपयोजनाओं के लिये निर्धारित दो उपशीर्षों–796 एवं 789 के तहत आवंटित बजट और साथ ही बजट पुस्तिका 4ब में अनुसूचित जाति तथा जनजाति उपयोजना हेतु योजनाओं के अंतर्गत प्रावधित राशि का विवरण दिया जाता है परन्तु समस्या यह है कि दोनों आंकड़ों में बहुत अन्तर होता है।

राज्य में वर्ष 2017–18 से उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटनः बजट में योजना एवं गैर–आयोजना वर्गीकरण की समाप्ति के बाद विभागों/मुख्य शीर्षों के अंतर्गत उपयोजनाओं हेतु निर्धारित मांग संख्या एवं लघु शीर्षों के अंतर्गत बजट आवंटन दर्शाया गया है। लेकिन उपयोजनाओं हेतु आवंटित बजट का राज्य एवं विभागों के योजनागत बजट के संदर्भ में आंकलन नहीं किया जा सकता है।
निम्न तालिका में दोनों उपयोजनाओं के लिये निर्धारित उपशीर्षों (789–अनुसूचित जाति उपयोजना एवं796–जनजाति उपयोजना) के तहत आवंटित कुल बजट का विवरण दिया गया है।

तालिका–1ःअनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु बजट आवंटन(करोड़ रु. में)

वर्ष	अनुसूचित जाति उपयोजना	जनजाति उपयोजना
2017–18 (बजट अनुमान)	9456.8	7326.19
2017–18 (संशोधित अनुमान)	9204.8	8008.48
2018–19 (बजट अनुमान)	12514.27	10633.75

स्रोतः बजट पुस्तिकाएं (2ब, 2स, 2द एवं 3अ), वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 9456.8करोड़ रु. एवं जनजाति उपयोजना हेतु कुल करीब 7,326 करोड़ रु. आवंटित किये गये। वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु कुल तकरीबन 12,514 करोड़ रु. तथा जनजाति उपयोजना हेतु 10,633 करोड़ रु. प्रस्तावित किये गये हैं।लेकिन वर्ष 2017–18 से उपयोजनाओं में आवंटित बजट का राज्य के आयोजना बजट के संदर्भ में विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि इन उपयोजनाओं में बजट आवंटन किस आधार पर किया गया है अर्थात् आवंटन का आधार क्या रहा है, यह स्पष्ट नहीं है।

राज्य में समस्त योजनाओं के कुल बजट में उपयोजनाओं हेतु प्रावधान

जैसा कि ऊपर यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2016 को जारी किये गये परिपत्र में के अनुसार वर्ष 2017–18 से ''राजस्व व पूंजीगत मदों की समस्त योजनाओं के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु पृथक–पृथक प्रावधान, राज्य में 2011 की जनसंख्या को आधार मानकर उक्त समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाना निर्देशित है।''इस निर्देश के अनुसार राज्य में उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन का योजनावार विवरण वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका–4ब (अनुसूचित जाति तथा जनजाति उपयोजना में योजनाओं के अंतर्गत प्रावधित राशि) में मिलता है। इस पुस्तिका में दोनों उपयोजनाओं हेतु बजट का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका–2: राजस्थान में समस्त योजनाओं हेतु कुल बजट एवं उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु प्रावधान (राशि करोड़ रु में)

वर्ष	कुल योजनागत प्रावधान	अनुसूचित जाति उपयोजना	जनजाति उपयोजना
2017–18	81157.97	14483.93 (17.85)	11218.93 (13.82)
2018–19	107865.40	19283.74 (17.88)	14610.06 (13.54)
2019–20	118055.66	21079.48 (17.86)	16085.72 (13.63)

स्रोतः बजट पुस्तिका–4ब, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य में दोनों ही उपयोजनाओं में मानदंड के अनुसार (करीब 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत) राशि आवंटित की जा रही है। लेकिन इन आंकड़ों की तुलना यदि हम वित्त विभाग की विस्तृत बजट पुस्तिकाओं के आंकड़ों (तालिका–1) से करें तो इनमें काफी अंतर है।अतः 2017–18 से राज्य बजट में पहले की तरह ही इन उपयोजनाओं (या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये प्रावधान) के दो प्रकार के आंकड़े मिलते हैं। अतः राजस्थान सरकार को इसमें स्पष्टता लाने की आश्यकता है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के संबंध में नीति आयोग ने अपने तीन वर्षीय कार्य योजना मसौदे (2017–18 से 2019–20) में दोनों उपयोजनाओं के लिए निर्धारित आवंटन सुनिश्चित करने के अलावा, जरूरतों के आधार पर नियोजन के साथ ही परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने पर ज़ोर दिये जाने की बात की है।

राज्य में उपयोजनाओं का जिला एवं निम्न स्तर पर क्रियांवयनः

राज्य में उपयोजनाओं का जिला एवं निम्न स्तर पर क्रियांवयन भी बहुत खराब है। जिला एवं निम्न स्तर पर उपयोजनाओं के क्रियांवयन की स्थिति को जानने के लिये बार्क द्वारा दो अध्ययन (वर्ष 2013 एवं 2015 में) किये गये। इन अध्ययनों में यह पाया गया कि जिला एवं निम्न स्तर पर आयोजना, बजट आवंटन एवं खर्च के लिहाज से उपयोजनाओं के क्रियांवयन की स्थिति काफी खराब है एवं इन स्तरों पर उपयोजनाओं हेतु कोई व्यवस्थित दिशा–निर्देश भी नहीं है। इन स्तरों पर विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में उपयोजनाओं के संबंध में जानकारी का अभाव है। अध्ययनों के अनुसार जिला एवं निम्न स्तर पर अलग से आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

उपयोजनाओं का जिला स्तरीय आंकलनः राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना की स्थिति का जिला स्तर पर आंकलन हेतु राजस्थान सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका–जिला आयोजना 2018–19 जिलेवार (District Plan 2018-19: District Wise) का उपयोग किया गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में इस दस्तावेज़ का प्रकाशन आरंभ किया है। इस दस्तावेज में सभी जिलों में 35 विभागों हेतु उपलब्धअधिकतम आवंटित बजट राशि (अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं सहित) का विवरण उपलब्ध है। उपयोजनाओं का जिला स्तरीय प्रस्तुत आंकलन इस दस्तावेज में सभी विभागों हेतु उपलब्ध कुल बजट राशि के आंकडों के विश्लेषण पर आधारित है।

तालिका 3 : राजस्थान में जिलेवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु प्रावधान(राशि करोड़ रु में)

जिला	कुल बजट राशि	जनजाति उपयोजना		जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जाति उपयोजना		अनुसूचित जाति जनसंख्या
		बजट राशि	प्रतिशत	प्रतिशत	बजट राशि	प्रतिशत	प्रतिशत
अजमेर	2026.8	217.2	10.7	2.5	360.8	17.8	18.5
अलवर	2302.5	294.1	12.8	7.9	442.8	19.2	17.8
बांसवाड़ा	2261.6	772.4	34.2	76.4	330.3	14.6	4.5
बारां	1425.2	246.6	17.3	22.6	263.0	18.5	18.1
बाड़मेर	2641.6	296.2	11.2	6.8	553.3	20.9	16.8
भरतपुर	1717.5	172.9	10.1	2.1	327.6	19.1	21.9
भीलवाड़ा	1708.9	205.8	12.0	9.5	344.7	20.2	16.9
बीकानेर	2165.5	209.7	9.7	0.3	389.7	18.0	20.9
बूंदी	1157.2	148.3	12.8	20.6	221.8	19.2	19
चित्तौडगढ़	1658.1	316.8	19.1	13.1	275.8	16.6	16.2
चुरू	1473.1	153.0	10.4	0.06	325.3	22.1	22.1
दौसा	1321.8	160.0	12.1	26.5	281.0	21.3	21.7
धौलपुर	1088.6	121.6	11.2	4.9	222.5	20.4	20.4
डूंगरपुर	1907.1	640.5	33.6	70.8	267.5	14.0	3.8
गंगानगर	1504.6	149.5	9.9	0.7	379.3	25.2	36.6
हनुमानगढ़	1282.5	130.6	10.2	0.8	308.6	24.1	27.8
जयपुर	3187.5	407.7	12.8	8	587.5	18.4	15.1
जैसलमेर	1276.3	153.0	12.0	6.3	240.8	18.9	14.8
जालौर	1449.9	181.7	12.5	9.8	304.6	21.0	19.5
झालावाड़	1496.7	176.2	11.8	12.9	281.7	18.8	17.3
झुंझुनूं	1199.9	136.2	11.4	1.9	231.6	19.3	16.9
जोधपुर	2956.5	365.6	12.4	3.2	586.3	19.8	16.5
करौली	1243.4	155.8	12.5	22.3	260.8	21.0	24.3
कोटा	1701.9	200.0	11.8	9.4	299.2	17.6	20.8
नागौर	2013.1	217.2	10.8	0.3	447.4	22.2	21.2
पाली	1627.2	204.5	12.6	7.1	325.2	20.0	19.5
राजसमन्द	1279.1	202.0	15.8	13.9	228.1	17.8	12.8
सवाई माधोपुर	1186.2	151.3	12.8	21.4	217.3	18.3	20.9
सीकर	1435.6	159.1	11.1	2.8	288.6	20.1	15.6
सिरोही	1155.7	295.0	25.5	28.2	199.9	17.3	19.5
टोंक	1168.5	149.0	12.8	12.5	222.0	19.0	20.3
उदयपुर	3011.4	847.5	28.1	49.7	432.5	14.4	6.1
प्रतापगढ़	1377.9	456.3	33.1	63.4	184.7	13.4	7
अवितरित	5875.7	776.2	13.2		952.4	16.2	
कुल योग	62285.3	9469.6	15.2	13.5	11584.8	18.6	17.8

स्रोतः जिला आयोजना 2018–19, जिलेवार, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य के सभी जिलों में सभी विभागों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु आवंटित बजट राशिकिस आधार पर की गई है यह समझना मुश्किल है। उपयोजनाओं का आवंटन इन जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के आबादी अनुपात से कहीं पर अधिक तो कहीं पर कम है। अतः इन जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या के अनुपात तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु दर्शायी गयी बजट राशि में किसी प्रकार की एकरुपता नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है राज्य में जिला स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु व्यवस्थित रणनीति एवं दिशा–निर्देश नहीं हैं।

हालांकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के जिला स्तरीय क्रियान्वयन के इस विश्लेषण हेतु उपयोग किये गये उपरोक्त आंकड़े, पंचायतीराज विभाग द्वारा 35 विभागों हेतु जिला आयोजना (2018–19) में उपलब्ध सीलिंग (अधिकतम) बजट राशि के विवरण पर आधारित हैं और वास्तविक आंवटन या वास्तविक खर्च को नहीं दिखाते। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि राज्य में जिला एवं निम्न स्तर पर विभिन्न विभाग दोनों उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन कितना एवं किस आधार पर कर रहे हैं। अतः सरकार द्वारा राज्य में जिला एवं निम्न स्तर पर उपयोजनाओं हेतु आयोजना निर्माण,इनके क्रियान्वन एवं बजट खर्चके संबंध मेंदिशा–निर्देश जारी किये जाने चाहिये।

मुद्दे एवं नीतिगत सुझाव

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सरकारों द्वारा योजना एवं गैर–योजना बजट वर्गीकरण की समाप्ति से उपयोजनाओं का आधार समाप्त हो गया है। आयोजना समाप्त होने के परिणामस्वरुप उपयोजनाएं भी लगभग समाप्त हो गयी हैं। अतः हमारा सुझाव है किः

- राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना को कानूनी रूप देने हेतु तेलंगाना सरकार की तर्ज पर कानून पारित किया किया जाये।
- सभी विभागों में दलितों एवं आदिवासियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली विशेष योजनाएं बनाकर इस कोष से क्रियांवित की जायें।
- उपयोजनाओं की राशि ना तो लेप्स की जाये और ना ही अन्य मदों में हस्तांतरित की जाये, बल्कि शेष बची राशि को अगले वर्ष उपयोग में लेने की व्यवस्था हो।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों की महिलाओं के अधिकार एवं सशक्तिकरण के लिये विधेयक एवं रणनीति में प्रावधान किये जायें।
- उक्त विधेयक के अंतर्गत बजट खर्च की आयोजना, नियमित निगरानी एवं नियंत्रण की व्यवस्था की जाये। आयोजना हेतु जमीनी स्तर पर डेटाबेस तैयार कर ग्राम स्तर से आयोजना तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये आयोजना हेतु निम्न से उच्च (Bottom up planning) की आयोजना रणनीति अपनाई जाये। इसके अलावा इन उपयोजनाओं को पंचायतीराज आयोजना से जोड़ा जाये।
- राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की तरह उपयोजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले बजट आवंटन को दर्शाने हेतु अलगस्टेटमेंट (21 एवं 21ए) जारी करने चाहिये।
- उपयोजनाओं हेतु आयोजना, बजट आवंटन एवं खर्च, निगरानी तथा पारदर्शिता हेतु राज्य, जिला एवं निम्न स्तर के सभी विभागों के साथ पंचायतीराज संस्थाओं को दिशा–निर्देश जारी किये जायें।

- उपयोजनाओं के व्यवस्थित क्रियांवयन हेतु पारदर्शिता एवं जबावदेही की मजबूत व्यवस्था हो। इस हेतु हर विभाग प्रत्येक स्तर पर मासिक व्यय एवं प्रगति की समीक्षा बैठक करे। साथ ही लोक लेखा समिति (पी.ए. सी.) में भी उपयोजनाओं की समीक्षा की व्यवस्था हो।
- अनसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून ग्रामसभा को आयोजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना सहित) का अधिकार देता है। उपयोजनाओं से संबंधित आगामी कानून एवं रणनीति में पेसा के इस प्रावधान को शामिल किया जाना आवश्यक है।
- विधेयक में जनजाति कल्याण निधि (महाराष्ट्रा पैटर्न) के संबंध में नियम भी शामिल किये जायें।
- कार्यक्रमों को लागू करने का संस्थापन व्यय एवं वेतन आदि के खर्च को इससे अलग रखा जाये।
- कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों की सरकारों द्वारा भूमिहीन दलितों एवं आदिवासियों को उपयोजनाओं के तहत भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में खरीदकर भूमि वितरित की जा रही है जो कि एक सफल कार्यक्रम है। अतः राजस्थान सरकार भी ऐसा कार्यक्रम बना सकती है।